

फर्द अहकाम कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर प्रार्थी :- श्री भेरूलाल किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.					
विपक्षी :- श्री नवलराम पत्रावली संख्या : 157 / 18					
क्रमांक	कार्यवाही विवरण				हस्ताक्षर पाटी तथा सुचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 14.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रुपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>				
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भेरूलाल पिता देवीलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तह. मावली उदयपुर	1331 / 1 1449 / 1	0.18 6.13	बंजड बंजड	0.27 1.84
	योग	किता 2	7.11	—	2.11
2	मुकेश पिता गोडुलाल मेघवाल निवासी ओडवाडिया तह. मावली उदयपुर	1449 मी.	2.13	बंजड	0.80
	योग	किता 1	2.13	—	0.80
3	नवलराम पिता हिरा मेघवाल 1/20, उंकारलाल पिता हीरा मेघवाल 1/20, सवागी पुत्री हिरा मेघवाल 1/20, प्रभुडी पुत्री हिरा मेघवाल 1/20, नानीबाई पत्नी हीरा मेघवाल 1/20, बाबुलाल पिता चमना खटीक 5/24, रतनी पुत्री चमना खटीक 5/24, उंकार पिता खुमा खटीक 1/6, श्रीलाल पिता खुमा खटीक 1/6 निवासी सांगवा तह. मावली उदयपुर	1331 मी.	10.04	बंजड	3.06
	योग	किता 1	10.04	—	3.06
<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>					
<p>(रमेश सीरवी पुनाड़िया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>					



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 157/18 (वाद)

उनवान

1. श्री भेरूलाल पिता देवीलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री नवलराम पिता हीरा मेघवाल निवासी सांगवा तह. मावली।
2. श्री उंकारलाल पिता हीरा मेघवाल निवासी सांगवा तह. मावली।
3. सवागी पुत्री हीरा मेघवाल निवासी सांगवा तह. मावली।
4. प्रभुडी पुत्री हीरा मेघवाल निवासी सांगवा तह. मावली।
5. श्रीमती नानीबाई पत्नी हीरा मेघवाल निवासी सांगवा तह. मावली।
6. श्री बाबुलाल पिता चमना खटीक निवासी सांगवा तह. मावली।
7. रतनी पुत्री चमना खटीक निवासी सांगवा तह. मावली।
8. श्री उंकार पिता खुमा खटीक निवासी सांगवा तह. मावली।
9. श्रीलाल पिता खुमा खटीक निवासी सांगवा तह. मावली।
10. श्री मुकेश पिता गोदुलाल मेघवाल निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
11. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.10.2020 को रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भेरूलाल पिता देवीलाल खटीक निवासी नाहरमगरा तह. मावली उदयपुर	1331/1 1449/1	0.18 6.13	बंजड बंजड	0.27 1.84
	योग	किता 2	7.11	—	2.11
2	मुकेश पिता गोदुलाल मेघवाल निवासी ओडवाडिया तह. मावली उदयपुर	1449 मी.	2.13	बंजड	0.80
	योग	किता 1	2.13	—	0.80
3	नवलराम पिता हिरा मेघवाल 1/20, उंकारलाल पिता हीरा मेघवाल 1/20, सवागी पुत्री हिरा मेघवाल 1/20, प्रभुडी पुत्री हीरा मेघवाल 1/20, नानीबाई पत्नी हीरा मेघवाल 1/20, बाबुलाल पिता चमना खटीक 5/24, रतनी पुत्री चमना खटीक 5/24, उंकार पिता खुमा खटीक 1/6, श्रीलाल पिता खुमा खटीक 1/6 निवासी सांगवा तह. मावली उदयपुर	1331 मी.	10.04	बंजड	3.06
	योग	किता 1	10.04	—	3.06

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 14.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली